



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी
प्रेस-नोट

दिनांक:-13/09/2024

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत अभियुक्त तौहिद खान को एनडीपीएस के प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा 01 वर्ष के कारावास व कुल- 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना-रामनगर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 157/2023 धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त तौहिद खान पुत्र तौफिक खान निवासी- डुमरडीह, थाना-दुद्धी, जनपद-सोनभद्र को थाना-रामनगर पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 13/09/2024 को मा0 न्यायालय जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट में 01 वर्ष के कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 30 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी
कमिश्नरेट-वाराणसी